श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक:–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/142

प्रार्थी कृष्ण राम पुत्र इन्द्र राम जाति बावरी निवासी 5पी बडी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्य प्रमाणपत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता इन्द्रराम पुत्र पोइयाराम जाति बावरी निवासी 5 पी बडी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 21.01.2011 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 15.07.2017 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 21.01.2011 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान चन्द सिंह पुत्र कृष्ण सिंह एवं जंगीर सिंह पुत्र गुरदयालराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय कुमार ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय